

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी—श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5845

दिनांक - 09.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मोहनसिंह पुत्र
हरखसिंह जाति रावणा
राजपुत निवासी बाड़मेर
गादान तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 भूरसिंह 2 लीलसिंह पिसरान माधुसिंह
3 सुन्दर देवी पत्नि माधुसिंह 4 तारी
देवी पत्नि भंवरसिंह 5 किशनसिंह 6
देवीसिंह 7 सरूपसिंह पिसरान
गोरधनसिंह 8 नीम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
जाति रावणा राजपुत निवासी बाड़मेर
गादान तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 137/2025

दिनांक- 30/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3232/2232 रकबा 0.5059 हैक्टयर, खसरा संख्या
3530/3229 रकबा 0.2267 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।




(वीरगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5846-49

दिनांक- 09.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र हरखसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भूरसिंह पुत्र माधुसिंह वगैराह जाति रावणा राजपुत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर